

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक: प0 3 (2) गृह-10/17

दिनांक 05.02.2018

आज्ञा

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम 9 के उप नियम 8 के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 की उप निदेशक अभियोजन के पद की रिक्तियों को पदोन्नति से भरने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित सहायक निदेशक अभियोजन को उप निदेशक अभियोजन के अस्थाई पदों पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 के वेतन बेण्ड (3) 15600-39100 ग्रेड वेतन (19) 7200 (नवीन वेतन श्रृंखला राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अन्तर्गत L-18) में पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है। इनको पदोन्नति पर नगद लाभ कार्यग्रहण करने की दिनांक से देय होगा। पदोन्नत अधिकारीगण का निम्नानुसार पदस्थापन किया जाता है।

क्र०सं०	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	वि०वि०
1.	श्री ब्रह्मानन्द जोशी	अपर लोक अभियोजक, सं० 4 कोटा	उप निदेशक अभियोजन, कोटा	श्री कुशल राम के स्थान पर/रिक्त दिनांक 01.04.2017 (अ०जाति)
2.	श्री शिवदयाल बंसल	सहायक निदेशक अभियोजन, बॉरा	उप निदेशक अभियोजन, उदयपुर	रिक्त पद /रिक्त दिनांक 01.4.2017(सामान्य)
3.	श्री जयपाल सिंह सोलंकी	सहायक निदेशक अभियोजन, भरतपुर	उप निदेशक अभियोजन, भरतपुर	रिक्त पद /रिक्त दिनांक 01.04.2017 (सामान्य)
4.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	विशिष्ट लोक अभियोजक, महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण न्यायालय, जयपुर	उप निदेशक अभियोजन, रा०उ०न्यायालय, जयपुर	रिक्त पद /रिक्त दिनांक 01.04.2017 (सामान्य)
5.	श्री राकेश कुमार झा	अपर लोक अभियोजक, अकलेरा जिला झालावाड	उप निदेशक अभियोजन, बीकानेर	रिक्त पद /रिक्त दिनांक 01.07.2017 (सामान्य)
6.	श्री रमाकांत वशिष्ठ	सहायक निदेशक अभियोजन, टोंक	उप निदेशक अभियोजन, मुख्यालय जयपुर	रिक्त पद /रिक्त दिनांक 01.08.2017 (सामान्य)
7.	श्री कुशल राम	उप निदेशक अभियोजन, कोटा	लोक अभियोजक, श्रीगंगानगर	रिक्त पद

उपरोक्त अधिकारीगण आदेश की अनुपालना में 7 दिवस के भीतर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण करना सुनिश्चित किया जावे। उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश सीएमओ/एफ.17004246 दिनांक 13.01.2018 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

आज्ञा से,

716/2018

विशिष्ट शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, सचिवालय जयपुर।
6. महानिदेशक, पुलिस/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
7. निदेशक, आरपीए, जयपुर।
8. निदेशक अभियोजन, 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
9. सम्बन्धित जिला कलक्टर/समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
10. सम्बन्धित अधिकारी/रक्षित पत्रावली।

716/2018

विशिष्ट शासन सचिव, गृह